न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅंगरपुर

ाम पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या–17 / 25 (राजस्व प्रार्थना पत्र) दायर दिनाकः–03.04.2025
निर्णय दिनाकः–19.05.2025

अनवान

–श्रीमती मुन्नी देवी उर्फ मुन्ना पत्नि किशोर हरिजन उम्र व्यस्क निवासी वार्ड नं0 17 हरिजन बस्ती सेन्ट्रल जेल सागवाडा के पास तहसील सागवाडा जिला डूॅंगरपुर

(वादीगण)

बनाम

1– भुमिधारी जरिये तहसीलदार ओबरी जिला डूॅंगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – 1 श्री निखिल बुनकर
वकील प्रतिवादी– 1 – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्त करने अर्न्तगत धारा 136 राज.एल.आर.एक्ट

– निर्णय –

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की पैत्रक कृषि भूमि मौजा ओबरी के खाता संख्या 166 / 640 खसरा नं04347 / 3293 खेत किता 1 रकबा 0.6472 हेक्टर में हिस्सा 1 / 8 है। विरासती नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थीया का नाम मुन्ना इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेज आधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड में मुन्नीदेवी पति किशोर हरिजन तथा जन्म प्रमाण पत्र में मुन्नी पिता कुरीया हरिजन निवासी ओबरी अंकित है। मौजा ओबरी खाता संख्या 166 / 640 में मुन्ना राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दिया गया जो कि गलत होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर प्रार्थीया का सही नाम मुन्नीदेवी राजस्व रेकार्ड में किया जाना न्यायहित में आवश्यक बताया गया है। प्रार्थीया को उक्त मामले की जानकारी होने पर वाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थीया द्वारा पेश वाद प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार ओबरी को सम्मन जारी किए गये।

सम्मन तामिल होने पर तहसीलदार ओबरी द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी 1 भुमिधारी तहसीलदार ओबरी के द्वारा अपना जवाब पेश कर राजस्व रेकार्ड मौजा ओबरी के खाता संख्या 166 / 640 में मुन्ना पुत्री कुरीया दर्ज रेकार्ड है जो कि

लत है। भूमिधारी रिपोर्ट अनुसार सलंग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का नाम नीदेवी पत्नि किशोर हरिजन है जो कि सही है। जिसकी पुष्ठि आस–पास पडोस द्वारा गई। तहसीलदार भूमिधारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मुन्नीदेवी व मुन्ना को एक ही व्यक्ति ाये जाने के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में मुन्ना पुत्री कुरीया की जगह नीदेवी पुत्री कुरीया किया जाना उचित है। जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष ही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार या जाकर पत्रावली मे राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया के नाम की शुद्दि किए जाने हेतु पेश तावेज प्रमाण एवं उपलब्ध रेकार्ड तथा भूमिधारी की रिपोर्ट अनुसार मौजा ओबरी के जस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 166/640 कुल खसरा 01 सरा नं0 4347/3293 कुल रकबा 0.6472 हेक्टर में मुन्ना पुत्री कुरीया हिस्सा 1/8 ति हरिजन सा0देह के स्थान पर मुन्नीदेवी पुत्री कुरीया हिस्सा 1/8 जाति हरिजन 0देह दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार प्रार्थी संख्या 1 को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया वे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।पत्रावली सल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा